<u>न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)</u>

पीठासीन अधिकारीः—ओम प्रकाश चन्देलिया आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 07/2022 **दायर दिनांकः 10.10.2022**

उनवान

1. प्रेमसागर आयु 58 वर्ष पुत्र बुद्धराम जाति मीना
2. माणकचन्द आयु 50 वर्ष पुत्र बुद्धराम जाति मीना
3. खेमचन्द आयु 45 वर्ष पुत्र बुद्धराम जाति मीना
4. केदार बाई आयु 40 वर्ष पुत्री बुद्धराम जाति मीना निवासीगण रामपुरिया तहसील अटरू जिला बारां (राज०)
5. घनश्याम आयु 38 वर्ष पुत्र जयराम जाति मीना निवासी उदपुरिया
6. चिन्ताराम पुत्र जयराम आयु 32 वर्ष जाति मीना निवासी उदपुरिया
7. कुलदीप आयु 35 वर्ष पुत्र जयराम जाति मीना निवासी उदपुरिया तहसील अटरू जिला बारां (राज०)
8. गायत्री बाई आयु 34 वर्ष पुत्री जयराम पत्नि बनवारी जाति मीना निवासी मुवाखेड़ा तहसील अटरू जिला बारां (राज०)

अपीलान्ट

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत कुन्जैड पंचायत समिति अटरू जिला बारां।
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार अटरू जिला बारां (राज.)

रेस्पोडेन्ट

<u>अपील अन्तर्गत धारा 75 राज० भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध इन्तकाल संख्या 217 दिनांक 21/09/2020 ग्राम पंचायत कुन्जैड़ पंचायत समिति अटरू जिला बारां (राज०)</u>

उपस्थिति :—

अपीलान्ट :— विद्वान अभिभाषक श्री हरीश गालव द्वितीय

रेस्पोडेन्ट :—

निर्णय

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.02.18 12:05:29 IST
Reason: SelfAttested

दिनाकः 08.01.2025

अपीलान्ट ने यह अपील अधीन अन्तर्गत धारा 75 एल आर एक्ट इस आशय की पेश की है कि इन्तकाल संख्या 217 दिनांक 21/09/2020 ग्राम पंचायत कुन्जैड़ के खिलाफ कानून एवं तथ्यों से परे होने से काबिल खारिज होने योग्य है। वाके ग्राम रामपुरिया तहसील अटरू जिला बारां (राज०) की जमाबन्दी सम्वत् 2074—77 की खाता संख्या 92 का ख.नं. 117 का रकबा 1.66 हे0, ख. नं. 119 का रकबा 1.37 हे0 कुल किता 2 का कुल रकबा 3.03 हे० भूमि स्थित है।

वाद पत्र की मद नं. 2 में वर्णित आराजी खातेदार बृजमोहन पुत्र दलजी, हेमराज पुत्र रामप्रसाद व बच्ची बाई बेवा दलजी हिस्सा 1/3, 1/3, 1/3 शामलाती खाते दर्ज थी जिसमें से बृजमोहन पुत्र दलजी ने अपने हिस्से की आराजी 1/3 सम्पूर्ण हिस्सा अमलेख बाई पत्नि हेमराज जाति मीणा को बेचान कर दिया था।

पारिवारिक सजरा

बच्ची बाई के वारिसान

रामप्रसाद (मृतक) → हेमरामज

बुद्धराम (मृतक) → प्रेमसागर, माणकचन्द, खेमचन्द, केदार बाई, द्वारका बाई (मृतक)

द्वारका बाई (मृतक) → धनश्याम, चिन्ताराम, कुलदीप, गायत्रीबाई

बृजमोहन

केला बाई

बच्ची बाई का देवासान दिनांक 23/03/1997 में हो चुका है। उक्त आराजी में बच्ची बाई का हिस्सा 1/3 नियत था उक्त हिस्से पर ग्राम पंचायत कुन्जैड़ द्वारा इन्तकाल संख्या 217 दिनांक 21/09/2020 को अपीलार्थीगण की सहमति के बिना व वारिसान की जांच किये बिना ही केवल बृजमोहन पुत्र दलजी व केला बाई पुत्री दलजी व हेमराज पुत्र रामप्रसाद का इन्तकाल हिस्सा 1/9, 1/9, 1/9 खोल दिया जो [illegible] से निरस्तनीय है। बच्ची बाई बेवा दलजी के रामप्रसाद (पुत्र), बुद्धराम (पुत्र), बृजमोहन (पुत्र) व केला बाई (पुत्री), बच्ची बाई के वारिसान है। बुद्धराम व बुद्धराम की पुत्री द्वारका का स्वर्गवास हो चुका है। इसलिए उक्त अपील इनके वारिसान की ओर से माननीय न्यायालय में प्रस्तुत है। इन्तकाल नं. 217 दिनांक 21/09/2020 की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 16/08/2022 को पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थीगण को बताया कि आपके चाचा, बुआ ने मिलकर आपकी दादी बच्ची बाई का इन्तकाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.02.18 12:05:29 IST
Reason: SelfAttested

अपने नाम पर खुलवा लिया है तथा उक्त इन्तकाल के आधार पर बच्ची बाई के स्थान पर बृजमोहन व केला बाई व हेमराज पुत्र रामप्रसाद का नाम राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो चुका है। इस पर अपीलान्ट्स ने उक्त इन्तकाल की नकल दिनांक 20/08/2022 को प्राप्त कर ली। अस्तु जानकारी से अपील अन्दर मियाद पेश है। धारा 5 मियाद अधिनियम का आवेदन मय शपथ पत्र अलग से प्रस्तुत है। अपील उचित न्याय शुल्क पर माननीय न्यायालय में अवधि मध्य पेश है। उक्त इन्तकाल का विवाद ग्राम पंचायत कुन्जैड़ में उत्पन्न होने से माननीय न्यायालय को उक्त अपील सुनने का क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेगें।

अतः अपील पेश कर निवेदन है कि इन्तकाल संख्या 217 दिनांक 21/09/2022 ग्राम पंचायत कुन्जैड़ पंचायत समिति अटरू बाबत आराजी ग्राम रामपुरिया तहसील अटरू जिला बारां (राज०) की खाता संख्या 92 का ख.नं. 117 का रकबा 1.66 हे0, ख.नं. 119 का रकबा 1.37 हे0 कुल किता 2 का कुल रकबा 3.03 हे० में बच्ची बाई का हिस्सा 1/3 पर खोला गया इन्तकाल गैर कानूनी एवं अवैधानिक होने से उसे निरस्त फरमाये जाने की कृपा करें।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेट बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। अपीलान्ट द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल नामान्तकरण संख्या 217 ग्राम रामपुरिया नकल जमाबन्दी ग्राम रामपुरिया सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 92, नकल जमाबन्दी ग्राम रामपुरिया सम्वत् 2062–65 खाता संख्या 114, मतदाता पहचान पत्र बुद्वराम, राशन कार्ड बुद्वराम, वारिस प्रमाण पत्र सरपंच ग्राम पंचायत कुन्जैड पेश किया गया।

बहस अभिभाषक अपीलान्ट सूनी गई बहस के दौरान अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा अपील में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। अभिभाषक अपीलान्ट का कथन है कि अपीलान्ट की दादी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि ग्राम रामपुरिया तहसील अटरू में स्थित थी जिसमें अपीलान्ट की दादी मृतक बच्ची बाई का हिस्सा 1/3 था उक्त हिस्से पर ग्राम पंचायत कुन्जैड़ द्वारा इन्तकाल संख्या 217 दिनांक 21/09/2022 को अपीलार्थीगण की सहमति के बिना व वारिसान की जांच किये बिना ही केवल बृजमोहन पुत्र दलजी व केला बाई पुत्री दलजी व हेमराज पुत्र रामप्रसाद का इन्तकाल हिस्सा 1/9, 1/9, 1/9 खोल दिया जो गलत एवं अवैधानिक होने से निरस्तनीय है। अतः इन्तकाल संख्या 217 दिनांक 21/09/2022 ग्राम

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.02.18 12:05:29 IST
Reason: SelfAttested

पंचायत कुन्जैड़ पंचायत समिति अटरू बाबत आराजी ग्राम रामपुरिया तहसील अटरू जिला बारां (राज०) की खाता संख्या 92 का ख.नं. 117 का रकबा 1.66 हे0, ख.नं. 119 का रकबा 1.37 हे0 कुल किता 2 का कुल रकबा 3.03 हे० में बच्ची बाई का हिस्सा 1/3 पर खोला गया इन्तकाल गैर कानूनी एवं अवैधानिक होने से उसे निरस्त फरमाये जाने की कृपा करें।

बहस अभिभाषक, पत्रावली पर उपस्थित रिकार्ड का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत नकल नामान्तकरण संख्या 217 दिनांक 08.09.2020 ग्राम रामपुरिया के अनुसार बच्ची बाई पत्नी स्व. दलजी की मृत्यु के पश्चात उसके वारिसान बृजमोहन पुत्र दलजी, हेमराज पुत्र रामप्रसाद, केला बाई पुत्री दलजी के नाम ग्राम पंचायत कुन्जेड द्वारा फौती इंतकाल स्वीकार किया गया। ग्राम पंचायत कुन्जेड द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र के आधार पर बच्ची बाई बेवा दलजी जाति मीणा के निवासी रामपुरिया के रामप्रसाद (पुत्र), बुद्वराम (पुत्र), बृजमोहन (पुत्र), केला बाई (पुत्री) वैध वारिसान है। बुद्वराम के मतदाता पहचान पत्र में भी पिता का नाम दलजी दर्ज है लेकिन ग्राम पंचायत कुन्जैड द्वारा बुद्वराम का फोती इंतकाल स्वीकार नही किया गया। इससे यह साबित होता है कि फोती इंतकाल खोलतें समय वारिसान की जांच सही नही की गई।

उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर नामान्तकरण संख्या 217 दिनांक 08.09.2020 ग्राम रामपुरिया खारिज कर तहसीलदार अटरू को बच्ची बाई के वैध वारिसानों की जाँच कर पुनः नामान्तकरण दर्ज करने हेतु रिमाण्ड किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

<u>कियात्मक आदेश</u>

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। नामान्तकरण संख्या 217 दिनांक 08.09.2020 ग्राम रामपुरिया पटवार मण्डल कुन्जैड खारिज किया जाता है। तहसीलदार अटरू को रिमाण्ड कर निर्देशित किया जाता है कि मृतक बच्ची बाई पत्नी स्व. दलजी के वैध वारिसानों की जाँच कर नामान्तकरण दर्ज किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 08.01.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.02.18 12:05:29 IST
Reason: SelfAttested

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.02.18 12:05:29 IST
Reason: SelfAttested